

## कार्यवृत्त

[ संक्षिप्त कार्य-विवरण ]

सोमवार, 05 फाल्गुन, शक संवत् 1946  
(24 फरवरी, 2025 ई०)

खण्ड-528

अंक-05

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे  
श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-04 के अनुपूरक उत्तर  
भाषण के मध्य मा० उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाटक) द्वारा प्रयुक्त कर्तिपय  
शब्दावली पर आपत्ति व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के  
वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर  
व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने कहा कि हमेशा नकारात्मक मत  
सोचिए। आप लोग अपने आसन पर चलें। इस पर नेता विरोधी दल ने  
कहा कि मा० उप मुख्य मंत्री जी जब भी बोलते हैं तो ऐसी भाषा का प्रयोग  
करते हैं, जिससे कि व्यवधान उत्पन्न हो जाए।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन में किसी का नाम नहीं  
लिया गया है। मा० नेता प्रतिपक्ष ने जो नाम लिया है, वह हमारे नहीं बल्कि  
प्रदेश के बहुत ही आदरणीय नेता थे और भारत सरकार ने उनको विशेष  
सम्मान भी दिया है। उनके लिए ऐसा कुछ सोचना भी ठीक नहीं है।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि आप लोगों की बात आ गई है। आप  
लोग सबसे पहले अपनी सीटों पर जाइए और वहाँ से अपनी बात कहिए।  
यदि आपत्तिजनक होगा तो माफी मँगवाएंगे। आप बताएं तो उन्होंने कौन सा  
असंसदीय शब्द कहा है।

इस पर भी सदन व्यवस्थित न होने पर घोर व्यवधान के मध्य  
श्री अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सदस्यों को अनुपूरक पूछने हेतु आमंत्रित किये  
जाने पर भी किसी भी सदस्य द्वारा अनुपूरक न पूछने की दशा में आज की  
कार्य-सूची के शेष प्रश्न उत्तरित माने गये।

धोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम-301 से सम्बन्धित सदस्य, जो अपने आसन पर हैं, की सूचनाएँ ले ली जायें।

धोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित मा0 मंत्री/ सदस्यगण को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गयी :-

1-लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश),

2-श्री कविन्द्र चौधरी,

3-श्री अमित अग्रवाल ।

धोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या 06/2018, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को स्पष्टीकरण ज्ञापन एवं विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का पच्चीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) की उप धारा (b) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

सदन की वेल में मौजूद सदस्यगण से श्री अध्यक्ष द्वारा अपनी सीट पर वापस जाने के अनुरोध किये जाने पर भी वापस न जाने एवं लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहने से सदन में धोर व्यवधान बना रहा।

इसी मध्य सदन के वेल से सदस्यों द्वारा की जा रही अमर्यादित भाषा पर आपत्ति व्यक्त करते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा कि किसी के बारे में आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी हालत में मर्यादाएं नहीं तोड़ सकते। किसी भी सदस्य ने ऐसा नारा लगाया तो उसको पाँच साल के लिए सदन से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों को बाहर जाने के लिए इंगित करते हुए उनका नाम लिखे जाने हेतु मार्शल, विधान सभा को आदेशित किया।

धोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज नियम-56 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुईं, इनमें से दो सूचनाएं ग्राह्यता के लिए सुनी जानी थीं, लेकिन सम्बन्धित सदस्यों द्वारा ग्राह्यता पर विचार व्यक्त न करने के कारण अग्राह्य की जाती हैं।

धोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में प्रतिभाग हेतु नेता विरोधी दल को आमंत्रित किये जाने पर उन्होंने कहा कि जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता, तब तक बोलना कैसे सम्भव हो पायेगा ? इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि आमंत्रण के बाद भी नेता विरोधी दल बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनसे जबर्दस्ती नहीं की जा सकती। चर्चा के अभाव में वोटिंग कराकर राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करा दिया जाएगा।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नेता विरोधी दल के बाद माझे मुख्य मंत्री जी को जवाब देना है। उन्होंने सदन को 15-20 मिनट के लिए स्थगित करने हेतु पीठ से अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा को हाईजैक करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के सदस्य सुनना नहीं चाहते और बोलना भी नहीं चाहते हैं।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम-51 की कोई सूचना नहीं ली जायेगी।

घोर व्यवधान के मध्य लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर हुये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में ३०० ओ०पी० श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद आगरा के कतिपय ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल के चयन प्रक्रिया में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री चौधरी बाबूलाल द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार, रायबरेली में लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 द्वारा कराये गये मानक के विपरीत निर्माण कार्य की टी०ए०सी० से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडियट कॉलेज पं० जवाहर लाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज खजुरहट, अयोध्या के तदर्थ प्रवक्ता के अनियमित व अधिकारिता विहीन नियुक्ति एवं राजकोष से अनियमित वेतन भुगतान की रिकवरी कराये जाने के प्रकरण में विभाग द्वारा अनावश्यक विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद अमेठी के विकास खण्ड जामों के ग्राम सूखी बाजगढ़ में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010 से 2023-24 तक कराये गये विकास कार्यों की जांच में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम हसनगढ़ी, ब्लॉक छजलेट का आजादी के 76 साल बाद भी सड़क से न जुड़ने से उत्पन्न स्थिति के निवारण के सम्बन्ध में

श्री कमाल अख्तर द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य लखनऊ-कानपुर राज्य मार्ग को जोड़ने वाला शुक्लागंज-गंगाधार में गंगा नदी पर टूटे पुल का नया निर्माण कराने तथा नया पुल बनने तक पीपे के पुल की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण की अरबों की जमीन भू-माफिया से कब्जा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-बसखारी राजमार्ग से सम्मनपुर, सिकन्दरपुर एवं भाऊपुर जाने वाले मार्ग पर देशी शराब की दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत आबकारी मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन (जनपद सहारनपुर) के ब्लॉक बलिया खेड़ी, हिण्डन नदी पर निर्माणाधीन सेतु के गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र निम द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने कहा कि अनेक बार अनुरोध के बावजूद आप लोग सीट पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए बजट सत्र आज ही समाप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। श्री कमाल अख्तर द्वारा व्यवस्था दिये जाने की माँग पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी, आप अपनी सीट पर चलें।

इस पर नेता विरोधी दल ने कहा कि उप मुख्य मंत्री द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को स्थगित करने का पुनः अनुरोध किया गया। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चार दिन से बहुत शान्तिपूर्ण चर्चा चल रही थी। अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं, इसलिए मात्र मुख्य मंत्री जी के अलावा किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने पूर्वाह्न 12 बजकर 09 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 02 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

अपराह्न 02:00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी हम सबके लिए श्रद्धेय हैं, उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। आज सुबह सदन में जो कुछ हुआ, वह गलतफहमी के कारण हुआ, उनका अपमान करने की किसी की कोई मंशा नहीं थी।

इस पर डॉ० संग्राम यादव ने कहा कि डॉ० लोहिया के अनुसार लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है, जहाँ विभिन्न विचारधाराएँ देशहित में काम करती हैं। मुलायम सिंह यादव जी जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार पैदा होता है, जिन्होंने गरीबों और वर्चितों को सम्मान दिलाया। उन्होंने उप मुख्य मंत्री पर गैर जिम्मेदाराना बयान का आरोप लगाते हुए नेता जी के प्रति उप मुख्य मंत्री द्वारा की गयी ओछी टिप्पणी के लिए उनसे माफी माँगने के लिए पीठ से अनुरोध किया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज प्रश्नकाल में जो कुछ भी हुआ और जिस परिस्थिति में हुआ, उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहते। नेताजी का नाम सबसे पहले नेता विरोधी दल जी द्वारा लिया गया था, न कि उप मुख्य मंत्री जी द्वारा। नेताजी को पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया है और सभी उनका सम्मान करते हैं। हमारी परम्परा नहीं रही है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर हम किसी प्रकार की टिप्पणी करें कि उनके अनुयायियों को अखरे। यहाँ पर जो कुछ भी घटित हुआ, उसका दुख है।

तदुपरान्त श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा अपनी नियम-300 की सूचना को ग्राह्यता पर सुने जाने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम-300 कल देखेंगे।

तदुपरान्त डॉ० नीरज बोरा द्वारा दिनांक 19-02-2025 को प्रस्तुत निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा श्री महबूब अली के भाषण से आरम्भ हुई :-

“यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।”

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्री ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह तथा पंचायती राज मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि बहुजन समाज पार्टी के मा० सदस्य श्री उमाशंकर सिंह, जो काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, अब स्वस्थ हैं। आज सदन में वह हम सबसे डिजिटली जुड़े हैं। उन्होंने सदन की ओर से उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस पर श्री उमाशंकर सिंह ने श्री अध्यक्ष, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल एवं सभी सदस्यों के प्रति उनकी शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने डिजिटली उपस्थित श्री त्रिभुवन राम, जो अभी अस्वस्थ हैं, के परिजन के देहान्त पर सदन की ओर से संवेदनाएँ व्यक्त कीं।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्री ने भी चर्चा में भाग लिया :-

मत्स्य मंत्री (डॉ संजय निषाद),

श्री धर्मराज सिंह यादव के भाषण के उपरान्त श्री पंकज कुमार मलिक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि भाषा अनुवाद के प्रयास ने पूरे देश को बहुत बड़ा संदेश दिया है, लोग यू-ट्यूब पर देख रहे हैं। उन्होंने चैनल-5 पर इंग्लिश ट्रांस्लेशन विलम्ब से होने की बात कहते हुए उसको चेक कराने का पीठ से अनुरोध किया। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसको दिखावा लिया जाएगा।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय) ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में अपने संशोधन पर बल दिया।

मा० मुख्य मंत्री ने उत्तर भाषण दिया।

तदुपरान्त श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ व अन्य संशोधन भी अस्वीकृत हुए तथा डॉ० नीरज बोरा द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव मूलरूप में पारित हुआ।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि घोर व्यवधान के कारण आज की कार्य-सूची की याचिका का उपस्थापन पूर्णरूप से तत्समय नहीं हो पाया था, अतएव आज की कार्य-सूची की समस्त याचिकाएँ आज की उपस्थिति के आलोक में उपस्थापित की हुई मानी जाएँगी। तदनुसार निम्नलिखित याचिका उपस्थापित की हुई मानी गयी :-

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी, विकास खण्ड बक्शा के अन्तर्गत बक्शा-तेजीबाजार पक्की सड़क पुरामहोब्बत तिराहा मातादीन की दुकान के सामने होते हुए ग्राम सभा नरी के रामलखन ठेकेदार के घर तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ब्लाक करण्डा के ग्राम सभा पुरैना में चोकरपुर धरम्पुर मुख्य मार्ग ग्राम पुरैना शंकर जी के मंदिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर स्थित जे० के० कैसर हास्पिटल में मरीजों को हो रही समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में बस स्टैण्ड से घुसयाना मोहल्ला होते हुए, पिसनारी तिराहा राजघाट सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितेश संज्ञा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मूलचन्द्र सिंह निरंजन, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के तहसील माधोगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जगम्मनपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र सिंह चंदेल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में सिटी स्टेशन से गोलागंज एवं कैसरबाग तक के अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 जावेद खान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम पंचायत मऊआइमा में बैरहना चौराहा से सेमरी होते हुए छीमीताल तक करनाईपुर-मऊआइमा मुख्य सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू सरोज व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम दिउरिया से बलारपुर होते हुए ग्राम जिगानिया तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम बिचौला ढूकी से ग्राम हाजीपुर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्रमी यादव व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज की तहसील तिवा, पोस्ट-ठठिया के अन्तर्गत ग्राम खरगापुर में नाली एवं चैम्बर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड व ग्राम सभा गोविन्दपुर (कछहरा) प्राथमिक विद्यालय से गोरखनाथ के घर होते हुए मलिकनाथपुर तक मार्ग का आर0सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर के कस्बा आहार के निकटवर्ती किसी स्थान पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के ब्लाक महाराजगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-वनबीरपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बबू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के दातागंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आनन्दपुर के च्याई के बीच बरसाती नाले पर पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० एम०पी० आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विकास खण्ड भद्रपुरा में ग्राम अभरायजपुर शमशान भूमि से गोविन्द बल्लभ पंत इण्टर कालेज होते हुए नहर की पुलिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र एड० व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लाक खजुहा के अन्तर्गत खजुहा से अमौली रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार बिन्दकी व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत मझारा सरहद से बलुहा, मुरावन पुरवा, अहिरन पुरवा गेड़सरधाट होते हुए दुर्गा माता मंदिर गेड़सरधाट, मोटखना, चमारनगांव शुक्लपुरवा, चिलमपुर अहिरनपुरवा होते हुए चाचा पुरवा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेवास प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के चन्दौली सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से जगरनाथपुर-रानेपुर-सराय बलुआ घाट सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र मौर्या, निवासी जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम गंगा जमुनी से मोहरतता तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़, विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत ट्रेजरी चौराहे से कटरा मेदनीगंज तक डिवाइडर सहित फोर लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग चैनेज 0.00 किमी० से 6.00 किमी० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती इन्द्राणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के अन्तर्गत ब्लाक सिरसिया के ग्राम पंचायत सिटकहवा में दुर्गापुर के पी चौराहा से 2 किमी0 खड़न्जे पर पेंटिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लाक धौरहरा की नगर पंचायत धौरहरा के विस्तारित क्षेत्र रामवाटिका धाम को जाने वाली सड़क को चौड़ीकरण/डिवाइडर बनाने के सम्बन्ध में श्री राजू मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के कूरेभार और बरौसा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह के ग्राम साखा, ब्लाक बहुआ फतेहपुर में मिनी स्टेडियम की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री शिवराम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

ई0 सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम चिरावली से लखीजंगल मार्ग पर चिरावली गाँव में मंदिर के समीप आवादी भाग में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुरुषोत्तम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत अकोड़ी से इमिलिया होते हुए हरिशंकरी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चौधरी बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम अभैदोपुरा (मुड़ियापुरा) से नगला बिधेल तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धूरेलाल आर्य व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फरुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के ग्राम अचरा के गाटा संख्या-322 को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशलेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फरुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमाशंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत ग्राम नुनौटी के नुनौटी बन्धी के राइट नहर से निकली शोभऊ माइनर की पक्की लाइनिंग कराने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन पाल व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यम कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री किरत सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक-गंगोह के गांव बन्दाहेडी में पार्थ राणा के मकान से शुभम के घेरे तक नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मांगेराम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहम्मद हसन ‘रूमी’, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के वार्ड सं0 36 अजीतगंज में हिन्दू कब्रिस्तान से लेकर नमक वाला हाते चौराहे तक भूमिगत सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री अयान खान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरव कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के ब्लाक हरख में ग्राम सहेलिया में नारायन बाबा के घर से दयाराम के घर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महन्त नारायणदास व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-101, अमाँपुर के ग्राम चन्द्रपुरा गऊपुरा में प्रा0 पा0 से तालाब तक मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हर्येया के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड गौर के कैनपुरा सिकटा मार्ग से करवनिया गांव रविचन्द्र विश्वकर्मा के घर तक 0 से लेपन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मधुबन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर में कानपुर-शुक्लागंज को जोड़ने वाले 4 लेन गंगा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा खरूआंवा में कुवंपुर-बधवां सम्पर्क मार्ग से डॉ0 जवाहरलाल (बरेठी) के मकान तक मार्ग का नव-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम-मोहिदीनपुर डेबा की चक्की पक्की सड़क से मुन्ना व बेचन भारतिया के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेचन राम व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज महमदपुर मार्ग से ग्राम चौधेड़ी तक के क्षतिग्रस्त पक्के मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगवीर व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम बिडहर खास बाजार में इन्द्रजीत के घर से ट्रान्सफार्मर से लेकर राम बहादुर के घर तक खडण्जा मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के ब्लाक सियर के मुबारकपुर ग्राम में लालू यादव के दरवाजे से चौहान बस्ती बांसपार बहोरवी तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शारदा चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड जामों ग्राम पंचायत लालपुर के गोपालपुर से उसराहा तक मिसिंग लिंक लगभग 700 मी० सी०सी० रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगरूक व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत खगई जोत कालूबनकट मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अपूर्व प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड लम्भुआ के अन्तर्गत परजन पट्टी से खुदौली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सरोज व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० विमलेश पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कौड़ीराम में कौड़ीराम गोला मार्ग पर नाले का निर्माण व ग्राम सभा भिंटहा रानीपुर भारतीय स्टेट बैंक से ग्राम सभा धस्का होते हुए पावर हाउस नाले के पास तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मारकण्डेय राय व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बाँगरमऊ के ग्राम पंचायत शादीपुर के समीप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे की सर्विस लाइन से सबली खेड़ा जाने वाली सर्विस लाइन के मध्य शारदा नहर पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र निम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सहारनपुर के ब्लाक रामपुर मनिहारान में ग्राम अम्बेहटा चांद चौराहे से मियानगी बाईपास होते हुए रामपुर बडकांव मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन पुत्र धर्मपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में उ0प्र0 परिवहन का बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 असलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जैनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड सोंधी के अन्तर्गत उसरहटा में शारदा सहायक खंड-36 के जर्जर पुल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम केवल व अन्य निवासीगण जनपद जैनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ब्लाक काकोरी के ग्राम करझन में लोक निर्माण विभाग से बिना एन0ओ0सी0 के मार्ग क्षतिग्रस्त करने व मरम्मत न करने के लिए कम्पनी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार अशर्फ व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम प्रताप वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उत्तरौला से जनपद गोण्डा को जाने वाली संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मप्रकाश चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बम्बा लाल दिवाकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव की तहसील सफीपुर के प्रस्तावित स्थल ग्राम सर्लीद में भूमि अधिग्रहित कर सिविल न्यायालय के स्थायी भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनव गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम भगंहा के निकट सरयू नदी पर पक्के घाट पर सीढ़ियों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के ग्राम श्री पालपुर के सामने बी0एस0टी0 बन्धे के पास नाला पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरथना के ग्राम कुण्डा से जमालपुर वाली सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज में सरयू नदी के मनिहारी घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसंत लाल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर में नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत जी श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लाक जगनेर की ग्राम पंचायत रिछोहा के मजरा तुर्कपुरा में पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीकम सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड सरसावा के प्रा० वि० अगवानहेडा के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राहुल राजपूत उर्फ “राहुल लोधी”, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के ग्राम सभा दुकनहा के ग्राम अहिलवा में बिंद प्रजापति के घर से सहदेव यादव के घर तक लगभग 1000 मीटर सी०सी० रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के जखनियां विधान सभा क्षेत्र 373, विकास खण्ड जखनिया के बरहट से हरिहरपुर होते हुए फतेहउल्लाहपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरोज व अन्य जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० श्याम विहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर में मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के ग्राम पंचायत भरसना व कतिपय ग्रामों में बारातधर/आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंशु तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव की तहसील सदर के ब्लाक सि० कर्ण के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर को जनसंख्या के आधार पर नई ग्राम सभा के रूप में

गठित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिप्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर की तहसील कलान में कटौला नगला से दशहरा वाले बाग से होते हुए एस0एच0-163 तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के ब्लाक हरैया सतधरवा के अन्तर्गत सिकटिहवामोड़-लालपुर-विशुनपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्धार्थ गौतम व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावत के अन्तर्गत बुढ़ाना-मुजफ्फरनगर मार्ग से हरसोली मार्ग का चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री याकूब व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या से निदान हेतु नये फीडर एवं विद्युत उपकरणों को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर प्रसाद पटेल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर के ग्राम पुरा दयाल में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत जालौन नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के ग्राम तालला से भटौना होते हुए सोहनपुरी क्यामपुर नथू सम्पर्क मार्ग पर काली सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम-गढ़उमराव से नानऊ तक कच्चा मार्ग का नव निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लखपति सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के विकास खण्ड जयपुर के ग्राम रजपुरा में रपटा निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के बल्केश्वर कालोनी में लेबर क्वार्टर्स में लम्बे समय से निवास करने वालों को न्यूनतम दरों पर मालिकाना हक दिलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू खेमानी व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशु', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र विलग्राम के विकास खण्ड विलग्राम के ग्राम छिवरामऊ से भीखापुरवा जरसेनामऊ तक सङ्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामखेलावन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा० आर० के० पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ में विकास खण्ड मड़ियाहूँ के अन्तर्गत ग्राम सभा कटेसर के आस-पास सई नदी पर चेक डैम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम डारीडीहा में रामशंकर यादव के खेत से डारी डीहा चौराह पुलिया तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में सिंचाई विभाग की लघुडाल योजना के अन्तर्गत सराय नदी के किनारे स्थित गांव गंगई-वसौली, रेबरी-बसईडीह जयरामपुर-गनेशपुर, हरिहरपुर-नयागांव में लिफ्ट पम्प कैनाल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुबकरन रावत व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिवियापुर के विकास खण्ड अछल्दा के ग्राम बीसरमऊ रोड से म्लासी सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 1.00 किमी० का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे बरौत बाजार से बिठौली सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरबिन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम पीरखेड़ा भट्ठे से झिंझाना की ओर नाला की क्षतिग्रस्त पटरी

(लम्बाई ल0 1500 मी0) की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया में घाघरा नदी पर खरीद दरौली पक्का पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैव्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र-306, डुमरियांगंज में बस डिलिया पुल से सोनहटी पी0डब्लू0डी0 रोड तक नहर की पटरी पर जाने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जहीर अहमद मलिक व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के अन्तर्गत ग्राम सभा भरौली से विशेषपुर एकौनी होते हुए मेडवरा तक मार्ग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रफीक अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के मेरठ नगर निगम के वार्ड-80 मोहल्ला करीम नगर में फकीरा पान शॉप से गली संख्या-18 तक बीस फुटा मुख्य मार्ग पर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आस मोहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ब्लाक बड़हलगंज के रास्ती तटपर बने 45 किमी0 के तटबंध आदीडीह से सरया राम जानकी मार्ग तक निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिवाजी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली में विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा हटियाँ में निर्मलराम के मकान से बालमुकुन्द के मकान तक आर0सी0सी0 व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री क्षितिज केशरी व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर की तहसील मीरजापुर विकास खण्ड सिटी के ग्राम सभा नेवड़िया के नेवड़िया घाट पर पीपा पुल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच के तहसील मिहीपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहीपुरवा में पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पोरवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित व्यपगत हुई।

श्री राजकुमार सहयोगी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के ब्लाक इगलास के ग्राम हरौथा से ग्राम भूरंगा तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होरीलाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद एटा के ब्लाक व तहसील अलीगंज के बन्दनगर से राम नगरिया आशाराम तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दूधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के 311, महादेवा विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड बनकटी के अन्तर्गत महादेवा मुण्डेरवां सम्पर्क मार्ग से मसौना गांव होते हुए कांची सम्पर्क मार्ग तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के खजूरी मोड़ से दीवानगंज बाजार तक मार्ग का नव निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव मिलन सरोज व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शाहिद मंजूर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के मेहनौन विधान सभा क्षेत्र भवानीपुर खुर्द पुलिस चौकी से ग्राम गुरुदत्त पुरवा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खुर्शीद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा, विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत यमुना नदी के घाट पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक चौहान व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाँदा के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत विलगांव में एक नया विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजर्षि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के फिरोजाबाद-फतेहाबाद मार्ग पर मुकेश के होटल से सोफीपुर-मुस्ताबाद मार्ग तथा उससे लिंक 04 गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम मूर्ति वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के विकास खण्ड बसखारी के ग्राम व पोस्ट अजमेरी बादशाहपुर में टाण्डा- हंसवर मार्ग पर फतेहपुर से मझौवा होते हुए दर्जीपुर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जंगबहादुर चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड नूरपुर के अन्तर्गत खानपुर नहर की पटरी पर संदूक के पुल वाली रोड से छोटी मढ़ियों होते हुए मूँझेड़ी पर पक्का मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के मध्य गंगा नहर पुल कुलपुर से कुलपुर कुटी के पास से होते हुए कल्याणपुर जनपुर मार्ग तक लम्बाई लगभग 02.00 किमी० सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अताउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र वहेड़ी की नगर पंचायत फरीदपुर में निर्मित आई०टी०आई० कालेज में स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी विजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के बीएनएन के किमी०-३५ से जालपुर-दहीरपुर-कांशीरामपुर-कोटावली मार्ग पर विशेष मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में श्री राशिद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विकास खण्ड बुढ़ाना के ग्राम शिकारपुर में पानी की टंकी के पास से ओमपाल के खेत के समीप तिराहे तक लगभग 1.5 किमी० क्षतिग्रस्त खड़न्जे मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित बालियान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर के अन्तर्गत करौती-धरनीपुर, सैदपुर-श्रीरामगंज से दामा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामकृष्ण भार्गव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के अशोक विहार कालोनी (विकास नगर मोड़ पर स्थित) खुरमनगर में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रेखा रोहतगी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बुजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के नवाबगंज में खेल के मैदान का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम सरदे गोपालपुर से शीतलपुर गांव तक के काले डामर रोड का निर्माण दूरी 1.5 किमी0 एवं उसी रोड पर नरवा के पास पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के पारा स्थित गायत्री फेस-02 में श्री विजय कुमार के घर से श्री रामशरण पटेल के मोड़ तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड तथा नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती नसीम सोलंकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत जी0आई0सी0 ग्राउण्ड में खाली पड़ी भूमि पर 50 बेड का अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लियाकत अली व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद-बेला-विधूना मार्ग पर रात्रिकालीन रोडवेज बस सेवा शुरू किये जाने के सम्बन्ध में श्री अटल बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम भुलसी से अलोना के मध्य केन नदी में दीर्घ सेतु के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र पाल व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुधाकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के अन्तर्गत कटघरा शंकर-सब्जी मण्डी-शहीद मार्ग के तिराहे पर स्थित सब्जी मण्डी को एन0एच0 रोड से हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश सिंह राठौर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम-301 की स्वीकृत सभी सूचनायें भी आज की उपस्थिति के आलोक में स्वीकृत मानी जायेगी, जो निम्नवत् है :-

आज दिनांक 24 फरवरी, 2025 को कुल 51 सूचनाएं प्राप्त हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई :-

<u>क्र०-सं0</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	श्रीमती मनीषा अनुरागी	जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में।
2	श्री संजय शर्मा	जनपद बुलन्दशहर के नगर अनूपशहर में लेखपाल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

<b>क्र०-सं०</b>	<b>नाम</b>	<b>विषय</b>
3	श्री किरत सिंह	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत कतिपय सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
4	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में कतिपय स्थानों पर बृहद गौशाला बनाये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री प्रकाश छिवेदी	जनपद बांदा के सदर के अन्तर्गत बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री राजपाल सिंह बालियान	जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के दोनों ओर बाईपास सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री अशरफ अली खान	जनपद शामली के सहारनपुर में प्रदूषित पानी से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
8	डॉ नीरज बोरा	राजस्व विभाग की विधि मान्यकरण प्रक्रिया पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	जनपद जौनपुर के बदलापुर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण व उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
10	श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना'	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के स्मारक और नाम पट्टिका हटाये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री राजीव गुम्बर	जनपद सहारनपुर के सहारनपुर नगर में अनियमित कालोनी में मूलभूत सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री बेदी	जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ में नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
13	श्रीमती केतकी सिंह	नगर निगम लखनऊ में पैनल अधिवक्ता के पद पर तैनात आपराधिक छवि के आदमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
14	श्री उमर अली खान	जनपद सहारनपुर के बेहट के कस्बा छुटमलपुर में इंटर कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में।
15	श्री अताउर रहमान	जनपद अकबरपुर में ग्राम चन्दपुर में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
16	श्री मो० हसन 'रुमी'	जनपद कानपुर नगर के कैट में कतिपय सड़क व नाली के निर्माण के सम्बन्ध में।
17	श्री राम अचल राजभर	जनपद अकबरपुर में ग्राम चन्दपुर में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।

<b>क्र०-सं०</b>	<b>नाम</b>	<b>विषय</b>
18	श्री रामपाल वर्मा	जनपद हरदोई के बालामऊ के विकास खण्ड कछौना में पी०सी०एफ० केन्द्र संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री वीरेन्द्र चौधरी	जनपद अम्बेडकर नगर में दुर्घटना से हुई मृत्यु की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के बैरिया में कतिपय स्थानों का सौन्दर्योकरण के सम्बन्ध में।

**शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।**

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा बजट पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व समर्थक सदस्यों के 10 मिनट, दलीय नेताओं के लिए 15-20 मिनट तथा अन्य सदस्यगण के लिए 08 मिनट का समय निर्धारित किया गया।

तदुपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा डा० शतभ मणि त्रिपाठी के भाषण से आरम्भ हुई।

इसी मध्य सायं 05 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा० मंजू शिवाच पीठासीन हुई।

निम्नलिखित सदस्यगण ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया-

श्रीमती नीलिमा कटियार,

श्री ओम प्रकाश,

श्री अशोक कुमार,

श्री संजय कुमार शर्मा,

श्री अतुल प्रधान,

डा० रश्मि आर्य,

श्री हरि प्रकाश वर्मा,

श्री नफीस अहमद,

डा० राजेश्वर सिंह,

श्री चन्द्रपाल सिंह,

श्री अंकित भारती,

डा० सुनील पटेल,

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी),

श्री राम सिंह पटेल के भाषण के मध्य सायं 07 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री योगेश शुक्ला,

श्री जै किशन साहू,

श्री राजीव तरारा के भाषण के उपरान्त चर्चा आगे के लिए जारी हुई। तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कल बजट चर्चा श्री उमर अली खान से आरम्भ होगी।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 2025 की बैठक में सिफारिश की है कि दिनांक 27 फरवरी, 2025 को सदन का उपवेशन न हो, शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत हैं।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

आज दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 76 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

**निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-**

<b>क्र०-सं०</b>	<b>मा० सदस्य का नाम</b>	<b>विषय</b>
1	डॉ० रागिनी	विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम सभा तिलौरा में एक आँगनबाड़ी केन्द्र का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	डॉ० राजेश्वर सिंह	विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के परिषदीय विद्यालयों कायाकल्प योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार एवं आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद में बस स्टेशन को पीपी मॉडल में विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री आशु मलिक	विधान सभा क्षेत्र 04-सहारनपुर के कतिपय ग्राम में काली नदी व ढमोला नदी के प्रदूषण से हो रहे गम्भीर रोगों के सम्बन्ध में।
5	श्री पूरन प्रकाश (एडवोकेट)	विधान सभा क्षेत्र बलदेव, जनपद मथुरा अन्तर्गत नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे से बलदेव जनपद मथुरा के लिए कट बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

**निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-**

1	श्रीमती मिथिलेश पाल	जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम रहड़वा में प्राइमरी स्कूल की विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
---	---------------------	--

<u>क्र०-सं०</u>	<u>मा० सदस्य का नाम</u>	<u>विषय</u>
2	श्री मो० हसन ‘रुमी’	जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र स्थित जौन-2 के अन्तर्गत वार्ड-73 जाजमऊ में सीवर लाइन की समस्या के सम्बन्ध में।
3	डॉ० सुरभी	जनपद फरुखाबाद के अन्तर्गत जी०आई०सी० भटासा में हो रहे अमानक निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्रीमती इन्द्राणी देवी	विधान सभा क्षेत्र भिन्नगा जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड सिरसिया के शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री संदीप सिंह	राज्य भण्डारण पी०ई०जी० सुखबीर एग्रो भवानीपुर प्रथम विध्याचल डिपो में सुधीर कुमार सिंह बथुआ, मिर्जापुर द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।
<b>निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई :-</b>		
1	श्री जय प्रकाश अंचल	विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के अन्तर्गत कठिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री कविन्द्र चौधरी	नगर पालिका परिषद् बस्ती के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में।
3	श्री स्वामी ओउमवेश	जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम दत्तियाना में घरों के ऊपर हाईटेशन लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री पंकज पटेल	विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर के ग्राम सभा बराई के पान किसानों की जीवन शैली के हित में तालाब आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के नगर पंचायत बदलापुर के अन्तर्गत एस०टी०पी० प्लाण्ट संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री पंकज कुमार मलिक	सार्वजनिक मुख्य मार्ग को ओमेक्स रेजीडेन्सी के ग्राम सभा सरसवां, तहसील सरोजनी नगर में हस्तक्षेप/अतिक्रमण रोके जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद-चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड सकलडीहा में पंचायत अध्यक्ष को वित्तीय अनियमितता एवं अपने पद का दुरुपयोग किये जाने की जाँच के सम्बन्ध में।
शेष सूचनाएँ अस्वीकृत हुई।		

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्य-सूची की मद संख्या-13 से 22 को लिये जाने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि उक्त मदें घोर व्यवधान के मध्य सुबह ही लिये जाने के कारण इस समय सम्बन्धित विभागों के मंत्रिगण सदन में उपस्थित नहीं हैं। प्रश्नगत मदों के सम्बन्ध में इस समय सरकार का पक्ष रखा जाना सम्भव नहीं है।

इस पर श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री की बात पर सहमति व्यक्त करते हुए वक्तव्य से सम्बन्धित सदस्यों से लिखित अनुपूरक दिये जाने के लिये कहा।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन रात्रि 08 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।

**प्रदीप कुमार दुबे,**

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

---

स्वीकृत,  
**सतीश महाना,**

अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।